रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 1985/वैशाख 23, 1907

No. 10] NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 1985/VAISAKHA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

अधिसूचना सं 3/85

नई दिल्ली, 8 मई, 1985

सं. आई एफ सी/बी एण्ड सी /विशेष महासभा/85 —दिनांक 6 अप्रैल, 1985 की भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की अधिसूचना सं 1/85 के अनुक्रम और निगम के सामान्य विनियमों के विनियम 33 के अनुसरण में एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के भाग (ग) में सन्दर्भित शेयर-धारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चुनाव के लिए केवल एक ही वैध नामांकन, श्री जे एस वार्ष्णेय, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पक्ष में प्राप्त हुआ है।

2. चूंकि भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ है, अतः उक्त विनियमों के अनुसार, श्री जे. एस. वार्ष्णेय 22 मई, 1985 को इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई विशेष महासभा में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक के रूप में चुने हुए समझे जाएंगे। श्री वार्ष्णेय उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) की शर्तों के अनुसार अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की असमाप्त अवधि, अर्थात् 1987 में होने वाली 39वीं वार्षिक महासभा में उत्तराधिकारी के चुने जाने तक पदासीन रहेंगे।

3. निदेशक का चुनाव करने के प्रयोजन के लिए 22 मई, 1985 को बुलाई गई विशेष महासभा के आयोजन की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

आर एन शाह, कार्यपालक निदेशक

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION No. 3|85

New Delhi, the 8th May, 1985

No. IFC|B&C|Spl. GM|85.—In continuation of Industrial Finance Corporation of India's (IFCI) Notification No. 1|85 dated the 6th April, 1985, and in pursuance of Regulation 33 of the General Regulations of the Corporation, it is hereby notified that only one valid nomination for election of one Director representing shareholders referred to in Clause (C) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 has been received in favour of Shri J. S. Varshneya, Chairman and Managing Director, Punjab National Bank, 5, Sansad Marg, New Delhi-110001.

2. As only one valid nomination has been received, and there is only one vacancy to be filled, Shri J. S. Varshneya, in accordance with the said Regulation, shall be deemed to be elected as Director, IFCI, at the Special General Meeting convened for the purpose on the 22nd May, 1985. Shri Varshneya shall hold office, in terms of sub-section (3) of Section 11 of the said Act, for the unexpired portion of the term of his predecessor i.e. till a successor is elected at the 39th Annual General Meeting to be held in 1987.

3. The Special General Meeting which was convened for the 22nd May, 1985, for the purpose of holding election of Director will, therefore, no longer be necessary to be held.

R. N. SAHOO, Executive Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985